प्रधान कार्यालय

(छ.ग.शासन का उपक्रम)

छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड

छत्तीसगढ़ हाट परिसर पण्डरी रायपुर

दूरभाष 0771–4905518 फैक्स नं–4905519 ई मेल- matikalaboard13@gmail.com

01. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 (1) (ख) के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी

02. विभागीय जानकारी –

01. विभाग के बारे मे एक मुख्य कार्य (संक्षिप्त में)

02. संचालित योजनाओं का नाम

03. अधिनस्थ कार्यालयों की जानकारी

कृपया उपरोक्तानुसार संदर्भित प्राप्त पत्रों मे उल्लेखित चाही गई जानकारी के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :–

01. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा –4(1) (ख) के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी

01. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य.

जानकारी – छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा माटीशिल्पियों को प्रशिक्षण उत्पादन एवं विक्रय /बाजार उपलब्ध कराने के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाता है।

02. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,

जानकारी – बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य प्रदेश के कार्यरत शिल्पकारों को अधिक से अधिक मात्रा में नवीन डिजाईन एवं तकनीकी से मिट्टी के सामाग्री का उत्पादन करने हेतु एवं उत्पादित कलाकृतियों को विक्रय करवाने के लिए नियमानुसार मदद एवं प्रोत्साहित करना होता है, जिससे की आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार हो सके।

03. विनिश्चय करने की प्रक्रिया मे पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है,

जानकारी – बोर्ड के प्रभारी/अधिकारी द्वारा शासन के नियमानुसार सूचना का अधिकार नियम – 2005 का अक्षरार्थ पालन किया जाता है।

04. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड,

जानकारी – बोर्ड के प्रभारी /अधिकारी द्वारा शासन के नियमानुसार एवं माटीशिल्पियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए अपने कर्तत्यों का निर्वहन करते हैं ।

05. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख,

जानकारी – बोर्ड के नियंत्रणाधीन अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्य के निर्वहन के लिए छ.ग. शासन के नियम प्रक्रियों का पालन किया जाता है।

06. ऐसे दस्तावेजों के, जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण,

जानकारी – बोर्ड में छ.ग. शासन के नियम संचालित है, अन्य दस्तावेज नहीं।

07. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उनकी नीति की संरचना या उनके कार्यान्वयन के संबंध मे जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,

जानकारी – बोर्ड में उपरोक्त व्यवस्था लागू नहीं है।

08. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रायोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ।

जानकारी – छ.ग. माटीकला बोर्ड का अन्य कोई संगठन नहीं है।

09. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

जानकारी – बोर्ड के पावर ऑफ डेलिगेशन की प्रति संलग्न है।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।

जानकारी– बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का मासिक परिश्रमिक छ.ग. शासन के निर्धारित वेतन भत्तों के अनुसार है।

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट,

जानकारी – बोर्ड के वर्तमान में 03 योजनाएं संचालित है, जो मांग संख्या –56 के अंतर्गत है,प्राप्त बजट राशि नियमानुसार आहरित कर व्यय की जाती है।

12.सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं,

जानकारी – बोर्ड को प्राप्त होने वाले बजट राशि मांग संख्या के अनुसार प्राप्त होता है, इस कारण बोर्ड के मांग संख्या के अनुसार ही आवंटित/प्राप्त राशि का योजनावार फायदाग्राहियों को सम्मिलित किया जाता है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां,

जानकारी – बोर्ड द्वारा प्रदेश के माटीशिल्पियों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु माटीशिल्पियों को निःशुल्क विद्युत चाक प्रदान की जाती है।

14. किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो,

जानकारी – बोर्ड द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान नहीं की जा रही है।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है,

जानकारी – बोर्ड से सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को नियमानुसार आवेदन करने पर सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां,

जानकारी – लोक सूचना अधिकारी का नाम – श्री गुरू संजय गोखले , पदनाम – प्रबंधक, संपर्क मोबाईल नम्बर – 7440405053

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।
जानकारी – .... ।

02. विभागीय जानकारी –

01. विभाग के बारे में एवं मुख्य कार्य (संक्षिप्त में)
जानकारी – छ.ग.माटीकला बोर्ड का गठन छ.ग.शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2012 में किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य शिल्पियों के कलात्मक सृजनता को संरक्षण एवं संवर्धन करने सतत् प्रयत्नशील है। शिल्पकारों को स्वाभाविक रचनात्मक अभिव्यक्ति शिल्पकला के रूप में होती है। जो दैनिक जनजीवन एवं प्रकृति से प्रेरित होती है। शिल्पियों को उचित अवसर एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना एवं उनकी भावी पीढ़ी को इन कलाओं से परिचित कराकर योग्य शिल्पी बनाना है। माटीशिल्प टेराकोटा की गुणवत्ता सुधार तथा मूल्य वृद्धि हेतु उन्नत प्रशिक्षण तकनीकी डिजाइन कार्यशाला इन्टीग्रेटेड डिजाइन कार्यशाला के माध्यम से शिल्पकारों के उत्पादन में आवश्यकता के अनुरूप विकास करना है।

02. संचालित योजनाओं का नाम –
जानकारी – छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में वर्तमान में निम्नांकित योजनाएं संचालित है–

01. **कुंभकार टेराकोटा योजना** :– विद्युत चाक (माटीशिल्पियों की समय ,मेहनत कलात्मक सामाग्री तैयार करने के लिए) निःशुल्क वितरण किया जाता है ।

02. **प्रचार प्रसार प्रदर्शनी योजना** :– माटीशिल्पियों द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कलात्मक सामग्रियों को विपणन व्यवस्था हेतु राज्य के बड़े शहरों में प्रदर्शनियों राज्योत्सव ,जगार ,नेशनल हेण्डलुम एक्सपो इत्यादि आयोजनों में भाग लिया जाकर विक्रय किया जाता है।

03. **आवासीय प्रशिक्षण /डिजाइन विकास योजना** :–ग्लेजिंग यूनिट गढ़फुलझर में माटीशिल्पकला के नये –नये डिजाईनों की सामग्री तैयार करने प्रशिक्षण ,आवासीय प्रशिक्षण डिजाइन विकास कार्यशाला इत्यादि के माध्यम से माटीशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाता है ।जिससे वे अच्छी कलाकृति बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके।

04. **सर्वे चिन्हांकन एवं पंजीयन योजना** :– माटीशिल्पियों के सर्वे चिन्हांकन एवं पंजीयन का कार्य किया जा रहा है ।

03. अधिनस्थ कार्यालयों की जानकारी –
जानकारी – बोर्ड के द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार ग्लेजिंग यूनिट संचालित है।

1. ग्लेजिंग यूनिट – ग्राम गढ़फुलझर विकास खंड बसना जिला महासमुंद
2. ग्लेजिंग यूनिट – ग्राम तेलईकछार विकास खंड सूरजपुर जिला सूरजपुर
3. ग्लेजिंग यूनिट – ग्राम नारी विकास खंड कुरूद जिला धमतरी

महाप्रबंधक
छ.ग.माटीकला बोर्ड
रायपुर

23.10.2021